झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक 01/07/2025

संख्या – 909 / दिनांक 01.04.2010 से निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 लागू है तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मानदण्ड तथा मानक) विनियम, 2014, राजपत्र में प्रकाशन की तिथि दिनांक 16.12.2014 से प्रभावी है, के उप–विनियम–4(ख) को दृष्टिपथ में रखते हुए एवं भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा झारखंड राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) के अधीन राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों की प्रोन्नति हेतु निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैं :–

नियमावली

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ**

(i) यह नियमावली **झारखण्ड राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली, 2025** कही जा सकेगी।

(ii) यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

(iii) इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा।

2. **परिभाषाएँ–** जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध नहीं हो, इस नियमावली में –

(1) **"संवर्ग"** से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य अंतर्गत कक्षा–01 से कक्षा–08 तक के राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक पद पर नियुक्त अथवा प्रोन्नत शिक्षकों का संवर्ग –

(*i*) **"इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक शिक्षक अथवा इंटरमीडिएट उर्दू प्रशिक्षित सहायक शिक्षक संवर्ग"**–शत्–प्रतिशत पद सीधी नियुक्ति से भरे जाते हैं।

राज्य सरकार, आवश्यक पाए जाने पर समुचित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए इन्हें **मरणशील संवर्ग (*Dying Cadre*)**, अर्थात् कोई भी नई नियुक्ति नहीं की जाएगी/नियुक्ति हेतु पद उपलब्ध नहीं होंगे, से संबंधित प्रावधान अधिसूचित कर सकेगी।

(*ii*) **"स्नातक प्रशिक्षित सहायक शिक्षक संवर्ग"**–50 प्रतिशत पद, इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक शिक्षक अथवा इंटरमीडिएट प्रशिक्षित उर्दू सहायक शिक्षकों की प्रोन्नति से एवं 50 प्रतिशत पद, सीधी नियुक्ति से भरे जाते हैं।

राज्य सरकार, आवश्यक पाए जाने पर समुचित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सीधी नियुक्ति से भरे जाने वाले पदों को **मरणशील संवर्ग (*Dying Cadre*)**, अर्थात् कोई भी नई नियुक्ति नहीं की जाएगी/नियुक्ति हेतु पद उपलब्ध नहीं होंगे, से संबंधित प्रावधान अधिसूचित कर सकेगी।

दिनांक 24.12.2020 से दिनांक 10.04.2023 तक अथवा उसके उपरांत सेवानिवृत्त इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक शिक्षक अथवा इंटरमीडिएट उर्दू प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों हेतु, यदि दिनांक 24.12.2020 से दिनांक 10.04.2023 तक अथवा उसके उपरांत सेवानिवृत संबंधित संवर्ग के शिक्षकों को जिले में एक भी बार कोई प्रोन्नति नहीं दी गयी हो, भी प्रोन्नति के 50 प्रतिशत अंतर्गत पद अगले आदेश तक उपलब्ध रहेंगे।

नोटः कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची का संकल्प संख्या 4351 दिनांक 03.07.2024 की कंडिका–4 को दृष्टिपथ में रखते हुए उपर्युक्त कंडिका में दिनांक 24.12.2020 अंकित किया गया है। अंकनीय है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची का संकल्प संख्या 6752 दिनांक 24.12.2020 से प्रोन्नति पर रोक लगाई गई थी तथा पत्रांक 2013 दिनांक 10.04.2023 एवं पत्रांक 3479 दिनांक 30.06.2022 द्वारा प्रोन्नति हेतु आवश्यक उपबंध किये जा चुके हैं।

(*iii*) **"प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय संवर्ग"** कार्यरत प्रोन्नत स्नातक प्रशिक्षित सहायक शिक्षक अथवा सीधे नियुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों हेतु प्रोन्नति के 50–50 प्रतिशत पद अगले आदेश तक उपलब्ध रहेंगे।

दिनांक 24.12.2020 से दिनांक 10.04.2023 तक अथवा उसके उपरांत सेवानिवृत स्नातक प्रशिक्षित सहायक शिक्षक अथवा स्नातक उर्दू प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों हेतु, यदि दिनांक 24.12.2020 से दिनांक 10.04.2023 तक अथवा उसके उपरांत सेवानिवृत संबंधित संवर्ग के शिक्षकों को जिले में एक भी बार कोई प्रोन्नति नहीं दी गयी हो, भी प्रधानाध्यापक, मध्य विद्यालय संवर्ग के पद अगले आदेश तक प्रोन्नति हेतु उपलब्ध रहेंगे।

नोटः कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची का संकल्प संख्या 4351 दिनांक 03.07.2024 की कंडिका–4 को दृष्टिपथ में रखते हुए उपर्युक्त कंडिका में दिनांक 24.12.2020 अंकित किया गया है। अंकनीय है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची का संकल्प संख्या 6752 दिनांक 24.12.2020 से प्रोन्नति पर रोक लगाई गई थी तथा पत्रांक 2013 दिनांक 10.04.2023 एवं पत्रांक 3479 दिनांक 30.06.2022 द्वारा प्रोन्नति हेतु आवश्यक उपबंध किये जा चुके हैं।

(2) **"स्थापना समिति"** से अभिप्रेत है, नियमावली के नियम–3 में गठित जिला शिक्षा स्थापना समिति।

(3) **"ग्रेड"** से अभिप्रेत है, वेतनमान्।

(*i*) **"ग्रेड–1"** से अभिप्रेत है, इंटर प्रशिक्षित सहायक शिक्षक, मूल वेतनमान् (रु. 9300–34800, ग्रेड पे.–4200/–, सप्तम् पुनरीक्षित **वेतनमान् स्तर – L/6**)।

(*ii*) **"ग्रेड–2"** से अभिप्रेत है, इंटर प्रशिक्षित सहायक शिक्षक, वरीय वेतनमान (रु. 9300–34800, ग्रेड पे.–4600/–, सप्तम् पुनरीक्षित **वेतनमान् स्तर – L/7**)।

(*iii*) **"ग्रेड–3"** से अभिप्रेत है, इंटर प्रशिक्षित सहायक शिक्षक, प्रवरण वेतनमान् (रु. 9300–34800, ग्रेड पे.–4800/–, सप्तम् पुनरीक्षित **वेतनमान् स्तर – L/8**)।

(*iv*) ***"ग्रेड–4"*** *से अभिप्रेत है, स्नातक प्रशिक्षित सहायक शिक्षक, सामाजिक विज्ञान (वाणिज्य स्नातक योग्यता के पदधारक शिक्षक सहित) अथवा स्नातक प्रशिक्षित सहायक शिक्षक, गणित एवं विज्ञान अथवा स्नातक प्रशिक्षित सहायक शिक्षक,, भाषा शिक्षक, मूल वेतनमान (रु. 9300–34800, ग्रेड पे.–4600/–, सप्तम् पुनरीक्षित* ***वेतनमान् स्तर – L/7****)।*

(*v*) **"ग्रेड–5"** से अभिप्रेत है, स्नातक प्रशिक्षित सहायक शिक्षक, वरीय वेतनमान् (रु. 9300–34800, ग्रेड पे. –4800/–, सप्तम् पुनरीक्षित **वेतनमान् स्तर – L/8**)।

(*vi*) **"ग्रेड–6"** से अभिप्रेत है, स्नातक प्रशिक्षित सहायक शिक्षक, प्रवरण वेतनमान् (रु. 9300–34800, ग्रेड पे. –5400/–, सप्तम् पुनरीक्षित **वेतनमान् स्तर – L/9**)।

(*vii*) **"ग्रेड–7"** से अभिप्रेत है, मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक का मूल वेतनमान् (रु. 9300–34800, ग्रेड पे–4800/–, सप्तम् पुनरीक्षित **वेतनमान् स्तर – L/8**)।

(*viii*) **"ग्रेड–8"** से अभिप्रेत है, मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक का वरीय वेतनमान् (रु. 9300–34800, ग्रेड पे.–5400/–, सप्तम् पुनरीक्षित **वेतनमान् स्तर – L/9**)।

(4) ***"अप्रशिक्षित"*** *से अभिप्रेत है, जो नियमावली की नियम–2 के अंतर्गत अंकित खण्ड (05) एवं (06) के अनुरूप प्रशिक्षित नहीं हैं।*

(5) **"प्रशिक्षित"** से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से शिक्षक–प्रशिक्षण प्राप्त और उत्तीर्ण हो।

(6) **"मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से शिक्षक प्रशिक्षण"** का तात्पर्य है कि इस नियमावली में उल्लेखित एवं वांछित शिक्षक प्रशिक्षण, चाहे जो नियमित रूप से अथवा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किये गये हों, परन्तु –

(*i*) यदि शिक्षक प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 के प्रभावी होने की तिथि **01.07.1995 के बाद** प्राप्त हों, तो यह शिक्षक प्रशिक्षण मात्र उन प्रशिक्षण संस्थानों से प्राप्त एवं उत्तीर्ण किये गये हों, जिन्हें ये शिक्षक प्रशिक्षण प्रदत्त करने हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की उस सत्र एवं संस्थान को मान्यता अनिवार्यतः प्राप्त हो।

(*ii*) यदि शिक्षक प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 के प्रभावी होने की तिथि **01.07.1995 के पूर्व** प्राप्त हो, तो ये शिक्षक प्रशिक्षण मात्र उन प्रशिक्षण संस्थानों से प्राप्त एवं उत्तीर्ण किये गये हों, जिन्हें ये शिक्षक प्रशिक्षण प्रदत्त करने हेतु उस राज्य, जहाँ वे अवस्थित हों, की राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मान्यता अनिवार्यतः प्राप्त हो।

(*iii*) **"विशेष शिक्षा" में प्रशिक्षण** से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अथवा राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद् के द्वारा विशेष शिक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम एवं मान्यता के अनुरूप प्रशिक्षण में उत्तीर्णता।

(7) **"शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक योग्यता"** से अभिप्रेत है –

(*i*) **"इंटर प्रशिक्षित"** से अभिप्रेत है, वैसा व्यक्ति जो मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय / संस्थान से न्यूनतम् इंटर या समकक्ष परीक्षोत्तीर्ण हो तथा प्रशिक्षित हो।

(*ii*) **"स्नातक प्रशिक्षित"** से अभिप्रेत है, वैसा व्यक्ति जो सांविधिक विश्वविद्यालय / संस्थान से न्यूनतम् स्नातक या समकक्ष परीक्षोत्तीर्ण हो तथा प्रशिक्षित हो।

(*iii*) **"स्नातकोत्तर प्रशिक्षित"** से अभिप्रेत है, वैसा व्यक्ति जो सांविधिक (Statutory) विश्वविद्यालय / संस्थान से स्नातकोत्तर या समकक्ष परीक्षोत्तीर्ण हो तथा प्रशिक्षित हो।

(8) **"मौलिक नियमावली"** से अभिप्रेत है, भारत सरकार द्वारा अपने कर्मियों के लिए बनायी गयी मौलिक नियमावली।

(9) **"झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा"** से अभिप्रेत है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा–23 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गयी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की 23.08.2010 को निर्गत एवं समय–समय पर यथासंशोधित अधिसूचना में यथानिर्दिष्ट न्यूनतम् अर्हत्ताएं, जिसके अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक (कक्षा 1 से 5) तथा उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8) के शिक्षकों के पद पर नियुक्ति की पात्रता की जांच हेतु झारखण्ड अधिविद्य परिषद् अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य प्राधिकार द्वारा जांच परीक्षा आयोजित की जाती है, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना सं. 62–1 / 2012 / राअशिप (मानदण्ड तथा मानक) विनियम, 2014 के उप–विनियम–4(ख) के अनुसार अध्यापकों की एक स्तर से दूसरे स्तर पर पदोन्नति के लिए पहली और दूसरी अनुसूची (अनुसूचियों) में यथानिर्दिष्ट संगत न्यूनतम अहर्ताएँ लागू हैं।

3. **स्थापना समिति –**

(1) शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए जिला स्तर पर जिला प्रारम्भिक शिक्षा स्थापना समिति गठित होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :– **(i) उपायुक्त–अध्यक्ष, (ii)** उप

विकास आयुक्त–सदस्य, (iii) जिला शिक्षा पदाधिकारी–सदस्य, (iv) जिला शिक्षा अधीक्षक–सदस्य सचिव एवं (v) जिला कल्याण पदाधिकारी–सदस्य।

परन्तु यह कि यदि क्रमांक (*i*) से (*v*) तक में वर्णित पदाधिकारियों में से कोई भी पदाधिकारी अनुसूचित जाति/जनजाति का न हो, तो उक्त वर्गों में से उपायुक्त द्वारा एक पदाधिकारी को इस समिति में मनोनीत किया जायेगा।

(2) जिला प्रारम्भिक शिक्षा स्थापना समिति द्वारा इस नियमावली के अधीन राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों की प्रोन्नति विषयक सभी निर्णय लिए जाएँगे।

4. **प्रोन्नति के लिए शर्तें**–निम्नांकित शर्त्तो को पूरा करने पर ही किसी शिक्षक की प्रोन्नति पर विचार किया जा सकेगा :–

(1) वह प्रोन्नति निमित्त निर्धारित न्यूनतम् कालावधि, प्रोन्नति के संबंध में विचार के पूर्व वर्ष के 31 दिसंबर को पूरी करता हो,

(2) वह प्रोन्नति निमित्त निर्धारित न्यूनतम् शैक्षणिक अर्हत्ता (स्नातक प्रशिक्षित पद/योग्यता के मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का डिग्रियों का विनिर्देशन के संबंध में निर्गत अधिसूचना, वर्ष 2014 एवं उपरांत के अनुरूप, स्नातक प्रशिक्षित सामाजिक विज्ञान (वाणिज्य स्नातक सहित), गणित एवं विज्ञान अथवा भाषा विषय में स्नातक उत्तीर्ण योग्यता में मुख्य/अतिरिक्त विषय के रूप में उस संकाय/विषय में दिनांक 04.06.1986 की तिथि के पूर्व तक स्नातक उत्तीर्णता की स्थिति में द्वि–वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण योग्यताधारी अथवा दिनांक 04.06.1986 की तिथि अथवा उसके उपरांत स्नातक उत्तीर्णता की स्थिति में त्रि–वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण योग्यताधारी), प्रोन्नति के संबंध में विचार के पूर्व वर्ष के 31 दिसंबर को पूरी करता हो एवं निर्दिष्ट प्रशैक्षणिक अर्हत्ता रखता हो,

(3) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची द्वारा निर्गत पत्र संख्या 3463 दिनांक 03.06.2022 तथा समय–समय पर निर्गत आरक्षण से संबंधित नियम/परिनियम/पत्र/परिपत्र में निहित प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

(4) वरीयता सूची में उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध, वह विचारणीय हो,

(5) उसकी सेवा संतोषजनक एवं अटूट हो तथा

(6) दिनांक 16.12.2014 के उपरांत नियुक्त शिक्षकों के मामले में प्रोन्नत पद के अनुरूप उच्च प्राथमिक झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण रहने की अनिवार्य अर्हत्ता पूर्ण करते हों।

5. **न्यूनतम शैक्षिक एवं – प्रशैक्षणिक अर्हत्ता एवं कालावधि**

(1) **ग्रेड–2 में प्रोन्नति के लिए –**
ग्रेड–1 में न्यूनतम 12 वर्ष की अटूट सेवा

(2) **ग्रेड–3 में प्रोन्नति के लिए –**
स्नातक प्रशिक्षित तथा ग्रेड–2 में न्यूनतम 12 वर्ष की अटूट सेवा, अथवा, इंटर प्रशिक्षित तथा ग्रेड–2 में न्यूनतम 18 वर्ष की अटूट सेवा।

(3) **ग्रेड–4 में प्रोन्नति के लिए –**
स्नातक प्रशिक्षित तथा ग्रेड–2 एवं ग्रेड–3 में शिक्षक उपलब्ध नहीं होने के फलस्वरूप ग्रेड–1 से ग्रेड–4 में प्रोन्नति की स्थिति में ग्रेड–1 में न्यूनतम 8 वर्ष की अटूट सेवा एवं दिनांक 16.12.2014 के उपरांत नियुक्त शिक्षकों के मामले में उच्च प्राथमिक झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण।

(4) **ग्रेड–5 में प्रोन्नति के लिए –**
ग्रेड–4 में न्यूनतम 12 वर्ष की अटूट सेवा

(5) **ग्रेड–6 में प्रोन्नति के लिये –**

स्नातकोत्तर प्रशिक्षित तथा ग्रेड–5 में न्यूनतम 12 वर्ष की अटूट सेवा अथवा स्नातक प्रशिक्षित तथा ग्रेड–5 में न्यूनतम 18 वर्ष की अटूट सेवा,

(6) **ग्रेड–7 में प्रोन्नति के लिये –**

(*i*) स्नातकोत्तर प्रशिक्षित तथा ग्रेड–6 अथवा ग्रेड–5 में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निम्नांकित प्रावधान होंगे –

(*a*) कुल/शेष पदों के 50–50 प्रतिशत पद, स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान् (ग्रेड–4) में न्यूनतम् 05 वर्ष की अटूट सेवा पूर्ण करने वाले स्नातकोत्तर प्रशिक्षित योग्यताधारी प्रोन्नत एवं सीधे नियुक्त शिक्षकों की कोटि से भरे जाने हेतु उपलब्ध रहेंगे,

(*b*) सीधी भर्ती और प्रोन्नत शिक्षकों की परस्पर वरीयता, जो संबंधित कोटे की रिक्तियों के सापेक्ष नियुक्त किए जाते हैं, उनकी उस वर्ष के संदर्भ में गणना की जाएगी, जिसमें उनकी नियुक्ति हुई है,
अर्थात, जिस वर्ष में वे संवर्ग में आए हैं या उनकी औपचारिक नियुक्ति का आदेश जारी किया गया है। यदि, जिस मामले में भर्ती वर्ष व नियुक्ति वर्ष समान हैं, नियुक्त शिक्षकों को उस वर्ष की वरीयता दी जाएगी,

(*c*) जहां प्रोन्नति या सीधी भर्ती मामले में नियुक्ति का वर्ष अगले वर्ष या भर्ती वर्ष के बाद का कोई वर्ष है, ऐसे प्रोन्नत शिक्षकों या सीधी भर्ती की वरीयता का निर्धारण उनके उस पद पर वास्तविक कार्यभार/नियुक्ति ग्रहण करने के वर्ष के संदर्भ में किया जाएगा, क्योंकि वे उस भर्ती वर्ष में कार्यभार ग्रहण करने में सक्षम नहीं थे, जिस वर्ष में रिक्ति हुई थी।

इस प्रकार, वे उस वर्ष की वरीयता प्राप्त करेंगे, जिस वर्ष में उन्होंने वास्तविक कार्यभार ग्रहण किया है, अर्थात् जिस वर्ष में औपचारिक नियुक्ति आदेश जारी हुआ है और वे सेवा/संवर्ग में रहे हैं तथा उन्हें उससे पहले के किसी वर्ष की वरीयता नहीं दी जाएगी (यथा रिक्ति/पैनल का वर्ष या वह वर्ष, जिसमें भर्ती प्रक्रिया आरंभ की गई)।

(*d*) परस्पर वरीयता के निर्धारण के उद्देश्य से प्रोन्नत व सीधी भर्ती से आए व्यक्तियों के बीच रोटेशन किसी विशेष वर्ष में उपलब्ध सीधी भर्ती और प्रोन्नति से आए व्यक्तियों की सीमा तक ही किया जाएगा।

परस्पर वरीयता निर्धारण में कोटे के रोटेशन के उद्देश्य से **"उपलब्ध सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति"** पर आए व्यक्ति शब्द का अर्थ होगा, उस वर्ष के दौरान परिणाम/चयन की घोषणा और

नियुक्ति पूर्व यथानिर्धारित औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद नियुक्त सीधी भर्ती या प्रोन्नति से आए व्यक्तियों की वास्तविक संख्या।

(*e*) उपर्युक्त (*d*) के अनुसार, यदि किसी विशेष वर्ष में पर्याप्त संख्या में सीधी भर्ती (या प्रोन्नत व्यक्ति) उपलब्ध नहीं होते हैं, तो परस्पर वरीयता निर्धारित करने के उद्देश्य से रोटेशन का क्रम उपलब्ध सीधी भर्ती और प्रोन्नत व्यक्तियों के उस वर्ष में उनकी नियुक्ति/कार्यभार ग्रहण करने पर उनके स्थान सौंपे जाने के बाद बंद हो जाएगा।

(*f*) यदि किसी विशेष वर्ष में कोई सीधी नियुक्ति उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध प्रोन्नतों को प्रोन्नति के लिए अनुमोदित पैनल में उनकी पदस्थिति के अनुसार एक साथ समूह में रखा जाएगा। उसी प्रकार

यदि उस वर्ष में कोई प्रोन्नत व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, तो उपलब्ध सीधे नियुक्त व्यक्ति को चयन प्रक्रिया में प्राप्त उनके स्थान के अनुसार एक साथ समूहित कर दिया जाएगा।

(*ii*) परंतु विचारण सूची अंतर्गत प्रोन्नत अथवा सीधे नियुक्त कोटि अंतर्गत किसी आरक्षित कोटि (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 3463 दिनांक 03.06.2022 की कंडिका–03 को दृष्टिपथ में रखते हुए अनारक्षित पदों से इतर अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति कोटि हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध प्रोन्नति हेतु) के पूर्णतः अथवा अंशतः अर्हत्ताधारी स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक की अनुपलब्धता की स्थिति में अगले वर्ष/ अगले संव्यवहार (*Transaction*) में स्पष्ट विवरण अंकित करते हुए सूचना के प्रकाशन एवं प्राप्त आपत्तियों के निराकरण उपरांत मात्र उस अंश तक एक–दूसरे (उसी कोटि के प्रोन्नत अथवा सीधे नियुक्त शिक्षकों) से भी भरे जा सकेंगे।

(*iii*) परन्तु ग्रेड–04 में न्यूनतम् 05 वर्षों की सेवा पूर्ण रहने वाले प्रोन्नत शिक्षकों के अभाव में मात्र एकबारीय सुविधा के रूप में तथा अपवादस्वरूप वरीयता सूची सं.–04 के अंतिम प्रकाशन की तिथि के पूर्व तक ग्रेड–04 में प्रोन्नत शिक्षक, जिनकी अटूट सेवावधि 20 वर्ष की पूर्ण हो चुकी हो, को भी वरीयता सूची सं.–04 में, ग्रेड–04 में न्यूनतम् 05 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षकों के उपरांत मात्र एक बार रखा जाएगा एवं इसकी सुविधा प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को सूचित करते हुए, इस प्रोन्नति नियमावली के अधिसूचित होने की तिथि से अधिकतम् 01 वर्ष के अंतर्गत ही उपलब्ध होगी, जिसमें इस निमित्त संगत वरीयता सूची के निर्माण अथवा संशोधन तथा सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन की अवधि भी सम्मिलित होगी।

(7) **ग्रेड–8 में प्रोन्नति के लिए –**

ग्रेड–7 में न्यूनतम 12 वर्ष की अटूट सेवा

6. **पदों की उपलब्धता –** प्रत्येक वर्ष के लिए उस वर्ष की 01ली अप्रैल को प्रोन्नति निमित्त रिक्त पदों की गणना स्थापना समिति करेगी। रिक्त पदों में से कितने पद लागू आरक्षण नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अनारक्षित वर्ग एवं तद्नुसार प्रोन्नत अथवा सीधे नियुक्त शिक्षकों के लिए होगें, इनकी गणना भी स्थापना समिति करेगी।

परन्तु, यह कि –

(1) ग्रेड–1 से ग्रेड–2 में ग्रेड–4 से ग्रेड–5 में तथा ग्रेड–7 से ग्रेड–8 में प्रोन्नति निमित, क्रमशः ग्रेड–1, 4 तथा 7 प्रत्येक में, मात्र 12 वर्षों की संतोषजनक एवं अटूट सेवा अनिवार्य होगी, पदों की उपलब्धता अथवा आरक्षण नीति का निबंधन अथवा झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता का प्रावधान लागू नहीं होगा,

(2) ग्रेड–2 से ग्रेड–3 में तथा ग्रेड–5 से ग्रेड–6 में प्रोन्नति के लिए क्रमशः ग्रेड–2 एवं ग्रेड–5 में 31 मार्च को कार्यरत कुल शिक्षकों के 20 प्रतिशत पद उपलब्ध रहेंगे, परंतु यह संबंधित संवर्ग के कुल **स्वीकृत** पदों के अधिकतम् 20 प्रतिशत पद के अंतर्गत होगा। झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता का प्रावधान लागू नहीं होगा, परंतु आरक्षण नीति का निबंधन लागू होगा।

(3) ग्रेड–4 में विभिन्न जिलों के लिये सरकार द्वारा स्वीकृत कुल पद अंतर्गत 50–50 प्रतिशत पद क्रमशः ग्रेड–4 में प्रोन्नति द्वारा एवं ग्रेड–4 में सीधी नियुक्ति द्वारा भरे जाने हेतु उपलब्ध होंगे। ग्रेड–7 के अन्तर्गत भी 50–50 प्रतिशत पद ग्रेड–4 में प्रोन्नत तथा ग्रेड–4 में सीधी नियुक्ति द्वारा भरे गये कार्यरत/नियुक्त शिक्षकों के निमित्त उपलब्ध होंगे। दोनों ग्रेड (ग्रेड–4 एवं ग्रेड–7) में दिनांक 16.12.2014 के उपरांत नियुक्त शिक्षकों हेतु उच्च प्राथमिक झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता का प्रावधान लागू होगा तथा आरक्षण का निबंधन भी लागू होगा।

7. **प्रोन्नति हेतु वरीयता–सूची का प्रारूप** प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर की स्थिति के अनुसार आगामी वर्ष के जनवरी माह के अंत तक नियम–8 में वर्णित मानकों के अधीन निम्न वरीयता सूचियों का प्रारूप जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा तैयार किया जायेगा :–

(1) **वरीयता सूची नं 1** (जो ग्रेड–3 में प्रोन्नति के लिये होगी) इस सूची में प्रथमतः उन स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को रखा जायेगा, जिनकी ग्रेड–2 में न्यूनतम् अटूट सेवा 12 वर्षो की हो गयी हो और तत्पश्चात् उन इंटर प्रशिक्षित शिक्षकों को, जिनकी ग्रेड–2 में न्यूनतम अटूट सेवा 18 वर्षो की हो गयी हो।

(2) **वरीयता सूची नं 2** (जो ग्रेड–4 में प्रोन्नति के लिये होगी) –

(*i*) यह सूची सामाजिक विज्ञान (वाणिज्य प्रशिक्षित वेतनमान स्नातक योग्यताधारी सहित), गणित एवं

विज्ञान तथा भाषा के शिक्षकों के लिए अलग–अलग बनायी जायेगी।

(*ii*) इस सूची में शिक्षकों को निम्न क्रम में रखा जायेगा–

(क) ग्रेड–3 में कार्यरत स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक,

(ख) ग्रेड–2 में कार्यरत स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक एवं

(ग) ग्रेड–1 में कार्यरत वे स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक, जिनकी अटूट सेवा ग्रेड–1 में न्यूनतम 8 वर्ष हो गयी हो।

(3) **वरीयता सूची नं 3** (जो ग्रेड–6 में प्रोन्नति के लिये होगी) –

(*i*) यह सूची सामाजिक विज्ञान (वाणिज्य स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान् योग्यताधारी सहित), गणित एवं विज्ञान तथा भाषा के शिक्षकों के लिए अलग–अलग नहीं, बल्कि समेकित रूप से तैयार की जायेगी।

(*ii*) इस सूची में प्रथमतः उन प्रशिक्षित स्नातकोत्तर शिक्षकों को रखा जायेगा, जिनकी ग्रेड 5 में न्यूनतम् अटूट सेवा 12 वर्षो की हो गयी हो और तत्पश्चात् उन प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों को रखा जायेगा, जिनकी ग्रेड–5 में न्यूनतम् अटूट सेवा 18 वर्षो की हो गयी हो।

(4) **वरीयता सूची नं 4** (जो ग्रेड–7 तथा ग्रेड–8 में प्रोन्नति के लिए होगी) –

(*i*) यह सूची सामाजिक विज्ञान (वाणिज्य स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान योग्यताधारी सहित), गणित एवं विज्ञान तथा भाषा के शिक्षकों के लिए अलग–अलग नहीं बल्कि समेकित रूप से तैयार की जायेगी।

(*ii*) इस सूची में शिक्षकों को निम्न क्रम में रखा जायेगा–

(क) ग्रेड–6 में कार्यरत प्रशिक्षित स्नातकोत्तर शिक्षक।

(ख) ग्रेड–5 में कार्यरत प्रशिक्षित स्नातकोत्तर शिक्षक।

(ग) ग्रेड–4 में कार्यरत प्रशिक्षित स्नातकोत्तर, प्रोन्नत/सीधे नियुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक, जिनकी ग्रेड–4 में न्यूनतम अटूट सेवा 5 वर्ष की हो।

मात्र एकबारीय एवं अपवादस्वरूप ग्रेड–4 में कार्यरत प्रशिक्षित स्नातकोत्तर योग्यताधारी, स्नातक प्रशिक्षित प्रोन्नत शिक्षक, जिनकी ग्रेड–4 में न्यूनतम अटूट सेवा 05 वर्ष की पूर्ण नहीं हुई हो, 05 वर्ष की सेवा पूर्ण, प्रोन्नत स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के बाद रखा जाएगा।

(*iii*) इस सूची से ग्रेड–4 तथा 5 में कार्यरत शिक्षक ग्रेड–7 में प्रोन्नत हो सकेंगे। ग्रेड–6 में कार्यरत शिक्षक सीधे ग्रेड–8 में प्रोन्नत हो सकेंगे।

8. **एक ही ग्रेड में पारस्परिक वरीयता** : एक ही ग्रेड के शिक्षकों की पारस्परिक वरीयता का निर्धारण निम्नांकित मानकों के अधीन होगा –

(1) आपसी वरीयता (*Inter se Seniority*) का आधार संगत मेधा सूची के अनुरूप सीधी नियुक्ति/पद प्रोन्नति के समय निर्धारित उनका समेकित मेधाक्रम होगा। प्रारंभ से समेकित मेधाक्रम अनुपलब्ध रहने या तैयार नहीं किये जाने की स्थिति में आपसी वरीयता का आधार प्रथम योगदान की तिथि होगी।

(2) जिन मामलों में समेकित मेधा सूची के अनुरूप सीधी नियुक्ति/पद प्रोन्नति के समय निर्धारित मेधाक्रम/मेधांक उपलब्ध हैं तथा वरीयता सूची का निर्माण पूर्व में नहीं किया गया है अथवा निर्मित तथा अंतिम रूप से अनुमोदित वरीयता सूची की अवधि 04 वर्ष पूर्ण नहीं हुई हो,

उन मामलों में सीधी नियुक्ति/पद प्रोन्नति के समय निर्धारित मेधाक्रम/मेधांक के आधार पर आपसी वरीयता का निर्धारण तथा वरीयता सूची तैयार करने अथवा पुनः नये सिरे से वरीयता निर्धारण की कार्रवाई की जाएगी,

परंतु इस क्रम में पूर्व में पद अनुरूप प्रोन्नत शिक्षकों का नाम उनके प्रोन्नत पद/संगत ग्रेड के अंतर्गत ही रखा जाएगा।

(3) जिन मामलों में सीधी नियुक्ति/पद प्रोन्नति के समय निर्धारित मेधाक्रम/मेधांक के आधार पर समेकित अनुशंसा सूची निर्गत नहीं है अथवा

वरीयता सूची का निर्माण एवं अनुमोदन की अवधि 04 वर्ष से अधिक हो चुकी है तथा नियुक्ति/प्रथम योगदान की तिथि के आधार पर वरीयता सूची तैयार एवं अनुमोदित की गयी है अथवा

तैयार किये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, उन मामलों में मेधाक्रम/मेधांक के आधार पर नए सिरे से वरीयता निर्धारण की कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(4) झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2012 (यथासंशोधित) के नियम–21(क)(II) एवं (ख)(II) के आधार पर तैयार मेधा सूची में प्रविष्ट, कुल मेधांक के अनुरूप क्रमशः इंटर प्रशिक्षित शिक्षकों एवं स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की पारस्परिक वरीयता निर्धारित होगी।

(5) ग्रेड–04 के मामले में उस ग्रेड में सीधी नियुक्ति/ पद प्रोन्नति की तिथि तथा ग्रेड–07 में प्रोन्नति की तिथि वरीयता निर्धारण का आधार होगा। उक्त तिथि समान होने पर, मात्र सीधी नियुक्ति/पद प्रोन्नति के फलस्वरूप, उससे निम्न ग्रेड प्राप्त करने की तिथि, यदि कोई हो और तद्नुसार ही मात्र सीधी नियुक्ति/पद प्रोन्नति के फलस्वरूप, उससे निम्नतम् ग्रेड प्राप्त करने तक की तिथि, यदि कोई हो, को आवश्यकतानुसार आधार माना जायेगा।

(6) ग्रेड प्राप्त करने की तिथि अन्ततः समान होने पर जन्म तिथि को आधार माना जायेगा।

(7) जन्म तिथि समान होने पर उनके नाम के रोमन लिपि के वर्णाक्षर क्रम से पारस्परिक वरीयता का निर्धारण होगा।

9. **वरीयता सूची** (1) वरीयता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जायेगा तथा उसकी

का अनुमोदन – प्रति उपायुक्त, जिला शिक्षा अधीक्षक एवं क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में शिक्षकों के अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेगी। साथ ही जिले के अधिकृत वेबसाईट पर प्रकाशित करते हुए इस संबंध में दैनिक समाचार पत्र में आवश्यक सूचना का प्रकाशन किया जाएगा। सूचना प्रकाशन के तीस दिनों के अन्दर जिला शिक्षा अधीक्षक को आपत्ति या सुझाव भेजा जा सकेगा।

(2) समय सीमा के अन्तर्गत स्थापना समिति द्वारा प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के बाद तैयार की गयी वरीयता सूची पर जिला शिक्षा स्थापना समिति की स्वीकृति प्राप्त की जायेगी तथा अंतिम रूप में क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक द्वारा उसे अनुमोदित किया जायेगा।

10. **प्रोन्नति आदेश–** (1) वरीयता सूची से, जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा उपलब्ध पदों के विरुद्ध प्रोन्नति संबंधी आदेश निर्गत किये जायेंगे, जो जिला शिक्षा अधीक्षक एवं उप विकास आयुक्त के संयुक्त हस्ताक्षर से निर्गत किया जायेगा।

(2) प्रोन्नति आदेश की एक प्रति कोषागार पदाधिकारी को उप विकास आयुक्त के परामर्श पत्र से भेजी जायेगी।

11. **वेतन निर्धारण–** (1) प्रोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा किया जा सकेगा।

(2) निम्नलिखित प्रोन्नतियों के उपरांत वेतन का निर्धारण ''मौलिक नियमावली'' के नियम 22(1)(ए)(i) तथा केन्द्र सरकार द्वारा अपने शिक्षकों के लिए समय–समय पर निर्गत निदेशों के आलोक में किया जायेगा–

(क) ग्रेड–4 में प्रोन्नति
(ख) ग्रेड–7 में प्रोन्नति
(ग) ग्रेड–6 से ग्रेड–8 में प्रोन्नति

(3) निम्नलिखित प्रोन्नतियों के उपरांत वेतन निर्धारण में ''मौलिक नियमावली'' के नियम 22(1)(ए)(i) का लाभ देय नहीं होगा, बल्कि प्रोन्नति के बाद मिलने वाले वेतनमान में जिस प्रक्रम पर प्रोन्नति के पूर्व वेतन होता है, वही देय होगा :–

(क) ग्रेड–2 में प्रोन्नति
(ख) ग्रेड–3 में प्रोन्नति
(ग) ग्रेड–5 में प्रोन्नति
(घ) ग्रेड–6 में प्रोन्नति
(ङ) ग्रेड–7 से ग्रेड–8 में प्रोन्नति

12. **अप्रशिक्षित शिक्षक –** अप्रशिक्षित शिक्षकों के संबंध में विभागीय संकल्प सं. 3027 दिनांक 14.12.2015 (यथासंशोधित विभागीय संकल्प सं. 1145 दिनांक 18.07.2019) द्वारा उनकी नियुक्ति की तिथि के आधार पर ग्रेड–1 की आपसी वरीयता निर्धारित किए जाने संबंधी निर्गत प्रावधान प्रभावी होंगे, जो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (यथासंशोधित अधिनियम, 2017) अंतर्गत निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक 31.03.2019 की तिथि तक अनुमान्य होगा।

13. **निरसन और व्यावृति–** (1) शिक्षकों की प्रोन्नति संबंधी पूर्व में निर्गत सभी नियम/आदेश इस नियमावली के प्रवृत होने की तिथि से निरसित माने जायेगें।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी ऐसे नियमों एवं आदेशों द्वारा या उनके अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से किया गया या की गयी समझी जायेगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

01/07/25

(उमा शंकर सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : 14/व.1–41/2023 909/ राँची, दिनांक 01/07/2025

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को झारखण्ड गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि अधिसूचना की 600 प्रतियाँ अविलम्ब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

01/07/25

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : 14/व.1–41/2023 909/ राँची, दिनांक 01/07/2025

प्रतिलिपिः– झारखण्ड राज्य के महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड/सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उप विकास आयुक्त/सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा अधीक्षक/सभी क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

01/07/25

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– 14/व.1–41/2023 909/ राँची, दिनांक 01/07/2025

प्रतिलिपिः– महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची/सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

01/07/25

सरकार के सचिव।